(सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख़ सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

3 (1.) दमयन्ती देवी पति रामनाथ प्रसाद, (2.) संजीव कुमार, (3.) राजेश कुमार दोनों के पिता रामनाथ प्रसाद, निवास स्थान शहर हजारीबाग, मुहल्ला डुड़हुडु, सदानन्द रोड़, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–नवडीहा, थाना संख्या–162, खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–78 एवं 626 रकवा क्रमशः 0.03 एकड़ एवं 0.01 एकड़ कुल रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि फुलमती कुमारी पति उदय कुमार पिता गुलाब राम रविदास, निवास स्थान ग्राम–असिया, थाना–ईचाक, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-750/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3980/रा0 दिनांक 03.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 363 दिनांक 24.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत गणेश महतो वगै0 हैं। केवाला के अनुसार खरीदगी भूमि रकवा 0.57 एकड़ भूमि है तथा खतियान में कुल रकवा 1.81 एकड़ दर्ज है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.57 एकड़ भूमि है। पंजी–II के पृष्ठ संख्या-100/IV पर संजीव कुमार वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021–22 तक निर्गत् है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। पूर्ण भूमि आवेदकगण की है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.53 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) दमयन्ती देवी पति रामनाथ प्रसाद, (2.) संजीव कुमार, (3.) राजेश कुमार दोनों के पिता रामनाथ प्रसाद, निवास स्थान शहर हजारीबाग, मुहल्ला हुड़हुड़ु, सदानन्द रोड़, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–नवडीहा, थाना संख्या–162, खाता संख्या–07, प्लॉट संख्या–78 एवं 626 रकवा क्रमशः 0.03 एकड़ एवं 0.01 एकड़ कुल रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि फुलमती कुमारी पति उदय कुमार पिता गुलाब राम रविदास, निवास स्थान ग्राम–असिया, थाना–ईचाक, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.09.09 16:54:47 +05:30
Location: 192.168.0.104